द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2160/2013

श्री सुरेश कुमार क्षेत्रपाल, **– अपीलार्थी**
पिता स्व0 गंगाराम क्षेत्रपाल,
निवासी नयापारा, वार्ड क्रं 24,
महासमुंद, जिला महासमुंद (छ0ग0)

विरूद्ध

श्री बी0आर0 साहू, **– उत्तरवादी क्रं0 01**
जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय तहसीलदार,
महासमुंद, जिला महासमुंद (छ0ग0)

श्री जे0आर0 चौरसिया, **– उत्तरवादी क्रं0 02**
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
महासमुंद, जिला महासमुंद (छ0ग0)

–:: आदेश ::–
(पारित दिनांक : 25/09/2014)

यह द्वितीय अपील, अपीलार्थी श्री बी0आर0 साहू द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत उत्तरवादी क्रं0 01 श्री बी0आर0 साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार, महासमुंद, जिला महासमुंद (छ0ग0) तथा उत्तरवादी क्रं0 02, श्री जे0आर0 चौरसिया, प्रथम अपीलीय अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) महासमुंद, जिला महासमुंद (छ0ग0) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 9.4.13 कलेक्टर कार्यालय, जिला महासमुंद को प्रस्तुत किया था। आवेदन में यह लिखा गया था कि अपीलार्थी द्वारा मुख्तियारनामे के माध्यम से ग्राम तुमगांव के कोटवारी सेवा भूमि एवं कोटवार पद की मांग हेतु दिनांक 2.2.11 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस संबंध में स्मरण पत्र भी दिये गये थे। अधिनियम के अंतर्गत यह जानकारी चाही गई थी कि कोटवारी पद तथा कोटवारी सेवा भूमि के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की सत्यापित प्रतिलिपि प्रदान की जाये। आवेदन प्राप्ति की तिथि 9.4.13 को ही आवेदन अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत तहसीलदार एवं जनसूचना अधिकारी, तहसील महासमुंद, जिला महासमुंद को अंतरित कर दिया गया। जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद के समक्ष अपील दिनांक 16.5.13 प्रस्तुत की। प्रथम अपील के दौरान तहसीलदार एवं जनसूचना अधिकारी ने अपना जवाब प्रस्तुत किया कि श्री सुरेश कुमार क्षेत्रपाल आम मुख्तियार (अपीलार्थी) ने ग्राम तुमगांव की कोटवारी सेवा भूमि एवं कोटवार पद की मांग किया था। सेवा भूमि मालगुजार से प्राप्त थी जो पूर्व ही कोटवार परानु पिता संपत, ग्राम तुमगांव को भूमि स्वामी हक पर प्रदान की जा चुकी थी और उसके

नाम से दर्ज थी और उसका नामांतरण (फौती) किया जाकर उनके वारिसनामों का नाम दर्ज किया जा चुका है। इस प्रकार यह जवाब कोटवारी सेवा भूमि के संबंध मे दिया गया था। कोटवार नियुक्ति के संबंध में यह जवाब दिया गया था कि ग्राम तुमगांव 2008 में नगर पंचायत की श्रेणी में आ गया तथा भू–राजस्व संहित 1959 की धारा 230 के अनुसार कोटवार किसी ग्राम या ग्राम समूह में पद धारण करेंगे। चूंकि तुमगांव नगर पंचायत बन गया था इसलिए कोटवार पद वहां स्वमेव समाप्त हो चुका है। पूर्व में कार्यरत कोटवार परानु की मृत्यु 2009 में हो चुकी है। जवाब के साथ ग्राम तुमगांव के बी1 की प्रतिलिपि खाता क्रमांक 574 एवं 578 प्रस्तुत की गई। खाता क्रमांक 574 दुलारी बाई पिता, पिता परानु, भारती आदि के नाम दर्ज हैं। परंतु खाता क्रमांक 578 परानु, पिता संपत गांड़ा के नाम दर्ज है। जनसूचना अधिकारी/ तहसीलदार के जवाब के उत्तर में अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष यह लिखकर दिया कि उन्हें आज दिनांक तक की कार्यवाही की सत्यापित प्रतिलिपि चाही थी जबकि उन्हें बी1 की प्रतिलिपि प्रदान की गई है जो उन्हें स्वीकार नहीं है। प्रथम अपीलीय अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी महासमुंद ने अपील क्रमांक 24/2013 आदेश दिनांक 13.8.13 पारित किया एवं अपील अस्वीकार की। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने यह पाया था कि तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 17.6.13 के अनुसार तुमगांव में कार्यरत कोटवार श्री परानु की मृत्यु दिनांक 2009 में हो चुकी है। संहिता की धारा 230(1) के अंतर्गत कोटवार की नियुक्ति की कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि ग्राम तुमगांव नगरीय क्षेत्र है। मालगुजारी प्रोपाईटर के तहत परानु द्वारा धारित भूमि पर भूमि स्वामी हक दे दिया गया है तथा परानु की मृत्यु के बाद उनके वारिसों का नाम दर्ज किया जा चुका है। यह प्रतिवेदन अपीलार्थी को उपलब्ध कराया गया था परंतु अपीलार्थी इसे अस्पष्ट बता रहे हैं और अधिनियम के तहत् कोटवार नियुक्ति तथा कोटवारी सेवा भूमि के कार्यवाही की प्रतिलिपि चाही गई है। चूंकि कोटवार नियुक्ति तथा कोटवारी सेवा भूमि के नामांतरण का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है इसलिए चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। अधिनियम की धारा 7(9) में सूचना को उसी रूप में उपलब्ध कराया जायेगा जिस रूप में स्थापित है। नये रूप में पुर्नस्थापित/संधारित कर जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती। इसलिए चाही जानकारी उपलब्ध कराना संभव नहीं पाते हुए प्रथम अपील खारिज की गई जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील की गई है।

द्वितीय अपील में प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताया गया है। अपीलार्थी के अनुसार मृतक परानु के नाम दो प्रकार की भूमियां थी। एक मालगुजार से प्राप्त सेवा भूमि थी जिस पर मृतक कोटवार का नाम दर्ज हो चुका है और दूसरा शासन द्वारा कोटवार सेवा के अंतर्गत प्राप्त भूमि थी तहसीलदार ने दोनों को एक मान लिया। नामांतरण में प्रस्तुत आवेदन के संबंध में क्या कार्यवाही की गई थी यह आज भी लंबित है। अपीलार्थी के अनुसार यह आवेदन पटवारी को प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में तहसीलदार एवं जनसूचना अधिकारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी तथा जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि को सुना गया। तहसीलदार/जनसूचना अधिकारी के जवाब में यह लिखा है कि नामांतरण के संबंध में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए भूमि के नामांतरण करने के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। जवाब में यह स्वीकार किया गया है कि

ग्राम तुमगांव की खसरा नं0 181/5, 1380, 1948/1, 2048 कुल रकबा 2.78 हेक्टे0 परानु, पिता संपत के नाम कोटवारी सेवा भूमि में दर्ज है। यह उल्लेखनीय है कि यह वही भूमि है जो बी1 के खाते नं0 578 में दर्शाई गई है।

प्रश्न यह है कि क्या प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश त्रुटिपूर्ण है। वांछित जानकारी 02 बिंदुओं की थी जिसमें से एक बिंदु यह है कि कोटवार नियुक्त किये जाने के संबंध में जो कार्यवाही की गई है उसकी सूचना दी जाये। तहसीलदार/जनसूचना अधिकारी के जवाबों से तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि तुमगांव अब नगरीय क्षेत्र हो गया है जिसमें कोटवार नियुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कोटवार नियुक्ति के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती और न ही की गई है। साथ ही इस संबंध में कोई आवेदन भी तहसीलदार न्यायालय में नहीं है। इसलिए इस बिंदु की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत वही सूचना/जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है जो रिकार्ड में उपलब्ध है। जानकारी बनाकर देना अपेक्षित नहीं है। इसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण सिविल अपील नं. 6454/2011, एस.एल.पी.नं. 7526/2009 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्ररी एजुकेशन एवं अन्य विरूद्ध आदित्य बंदोपाध्याय एवं अन्य में पारित आदेश से भी होती है। जिसमें पाया गया है कि केवल रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी देना ही अपेक्षित है। उसे एकत्रित COLLECT कर या COLLATE कर देना अपेक्षित नहीं है। अतः यह पाते हुए कि इस बिंदु की जानकारी उपलब्ध ही नहीं है इसलिए अपीलार्थी को प्रदान नहीं की जा सकती, प्रथम अपीलीय अधिकारी का इस बिंदु के संबंध में पारित आदेश उचित पाया जाता है। वांछित सूचना/जानकारी का दूसरा बिंदु यह है कि कोटवारी सेवा भूमि की मांग के संबंध में जो कार्यवाही की गई है उसकी सूचना प्रदान की जावे। इस संबंध में यह स्थिति पाई जाती है कि बी1 का खाता नंबर 578 आज भी मृतक श्री परानु जो कि भूतपूर्व कोटवार थे, के नाम दर्ज है एवं तहसीलदार/जनसूचना अधिकारी के अनुसार नामांतरण का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। छ0ग0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अनुसार नामांतरण के अधिकार न्यायालय तहसीलदार को हैं और उनके अनुसार नामांतरण का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी ने सूचना मांगने के आवेदन में जिन आवेदनों का हवाला देकर सूचना मांगी थी उनमें से एक आवेदन दिनांक 2.2.11 जो कलेक्टर महासमुंद को संबोधित है, में यह अवश्य लिखा है कि नामांतरण हेतु पटवारी के पास आवेदन प्रस्तुत किया गया परंतु उसका कोई पावती आदि सुनवाई के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई है। जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है कि नामांतरण के अधिकार न्यायालय तहसीलदार को हैं अतः नामांतरण हेतु आवेदन न्यायालय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। अतः इस बिंदु के संबंध में पाया जाता है कि कोटवारी सेवा भूमि की मांग के सबंध में कार्यवाही की सूचना मांगी गई थी परंतु उसके लिए विधिवत् सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत नही किया गया था इसलिए उस पर कोई कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं था और जब कोई कार्यवाही हुई ही नहीं तो उसकी सूचना/जानकारी देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी ही प्रदाय की जाना अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है। अतः इस बिंदु पर भी प्रथम अपीलीय अधिकारी का विनिश्यच उचित पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह अपील अस्वीकार की जाती है।

आदेश तद्नुरूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त